पटना समाहरणालय, पटना।

(आपदा प्रबंधन शाखा)

आदेश

विशेष सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना के पत्र संख्या–27 (सा0अनु0)/आ0प्र0 दिनांक 16.07.2014 द्वारा चालू वित्तीय वर्ष 2014–15 में गैर योजना मुख्य बजट शीर्ष 2245–प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत, उप मुख्य शीर्ष–02– बाढ़ चक्रवात आदि लघु शीर्ष 101 अनुग्राहिक राहत उप शीर्ष– 0015– राज्य के बाहर की घटनाओं में मृत /घायल होने पर प्रभावित व्यक्तियों/परिवारों को अनुग्रह अनुदान विपत्र कोड एन०–2245021010015 मद में पटना जिले को 200000.00 (दो लाख) रुपये का प्राप्त आवंटन को इस कार्यालय के पत्रांक 742/आ0प्र0 दिनांक 01.08.2014 द्वारा अंचलाधिकारी, बिहटा एवं बाढ़ को उपावंटित किया जा चुका है।

पुनः विशेष सचिव, आपदा प्रबन्धन विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 104 (सा0अनु0)/आ0प्र0 दिनांक 09.02.15 के द्वारा उक्त शीर्ष में 3,00,000.00 (तीन लाख) रूपये प्राप्त आवंटन को निम्नरूपेण उपावंटित करते हुये सम्बन्धित कोषागार से वित्तीय वर्ष–2014–15 में निकासी की स्वीकृति प्रदान की जाती है:–

माँग संख्या– 39, विषय शीर्ष– 3106– सहायक अनुदान वेतनादि के अलावा

(रूपये लाख में)

क्रमांक	आवंटित पदाधिकारी का पद नाम	पूर्व उपावंटित राशि	वर्तमान उपावंटित राशि	कुल योग
1	2	3	4	5
1.	अंचलाधिकारी, बिहटा।	1.00	00.00	1.00
02.	अंचलाधिकारी, बाढ़।	1.00	00.00	1.00
03.	अंचलाधिकारी, पटना सदर।	00.00	1.00	1.00
04.	अंचलाधिकारी, दानापुर।	00.00	2.00	2.00
	कुल उपावंटित राशि :–	**2.00**	**3.00**	**5.00**

1. इस राशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2014–15 में गैर योजना मुख्य बजट शीर्ष 2245–प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत, उप मुख्य शीर्ष–02– बाढ़ चक्रवात आदि लघु शीर्ष 101 अनुग्राहिक राहत उप शीर्ष– 0015– राज्य के बाहर की घटनाओं में मृत /घायल होने पर प्रभावित व्यक्तियों/परिवारों को अनुग्रह अनुदान विपत्र कोड एन०–2245021010015 मद में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।
2. यह उपावंटन अंचल कार्यालय पटना सदर एवं दानापुर के जून– 2013 में उत्तराखंड में घटित प्राकृतिक आपदा में मृत्यु का स्वीकृत अनुग्रह अनुदान के आलोक में किया जा रहा है। अंचलाधिकारी, पटना सदर एवं दानापुर को निदेश दिया जाता है कि स्वयं संतुष्ट होने के उपरान्त उत्तराखंड आपदा में मृत व्यक्ति के निकटतम् आश्रित को अनुग्रह अनुदान के रूप में देया राशि का भुगतान करेंगें तथा इसकी सूचना अविलम्ब इस कार्यालय को भी देंगें।

3. उपावंटित राशि का व्यय उसी मद् में किया जाय जिस मद् के लिए राशि का आवंटन किया गया है। किसी भी अन्य म् में इस राशि का विचलन नहीं किया जाय अन्यथा इसके लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी ही जिम्मेवार होंगे।

4. उपावंटित की गई राशि की निकासी यथा संभव Fully Vouched Bill के माध्यम से ही की जाय। अपरिहार्य कारणवश ही राशि की अग्रिम निकासी ए०सी० विपत्र के माध्यम से की जाय। अग्रिम तौर पर निकासी के बाद व्यय की गई राशि का डी०सी० बिल महालेखाकार कार्यालय, बिहार, पटना को बिहार वित्त नियमावली के प्रावधानों के अनुसार निर्धारित समय सीमा में भेजते हुए प्रति व्यय प्रतिवेदन एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ इस कार्यालय को शीघ्र उपलब्ध करायी जाय।

5. उपावंटित राशि की निकासी से संबंधित विपत्र पर मुख्य बजट शीर्ष/उप मुख्य शीर्ष–लघु शीर्ष/उपशीर्ष तथा विपत्र कोड का उल्लेख स्पष्ट रूप से की जाय। विपत्र पर सही शीर्ष/उपशीर्ष का मुहर लगाया जाय अन्यथा आंकड़े के त्रुटिपूर्ण वर्गीकरण की सारी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी। कृपया एक विपत्र पर एक हीं उपशीर्ष की राशि की निकासी की जाय ताकि महालेखाकार कार्यालय में लेखा संधारण में कठिनाई नही हो।

6. यह उपावंटन आदेश वित्त विभाग के ज्ञापांक 2561[बी० (2)] दिनांक 17.4.1998 के आलोक में निर्गत किया जा रहा है। राशि की निकासी एवं व्यय में वित्त विभाग के निदेशों का अक्षरशः पालन किया जाय।

7. यदि उपरोक्त उपावंटित राशि का व्यय इस वित्तीय वर्ष में नहीं हो सके, तो अवशेष राशि का प्रत्यर्पण दिनांक 15.03.2015 तक निश्चित रूप से कर दें अन्यथा इसके लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी ही जिम्मेवार होंगे। राशि की निकासी कर बैंक खाते में नहीं रखी जाय।

ह०/–
जिला पदाधिकारी,
पटना।

ज्ञापांक IV-20/2013 250 /आ०प्र०, दिनांक 16.02.15

प्रतिलिपि :– सम्बन्धित पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:– अनुमंडल पदाधिकारी, पटना सदर एवं दानापुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– जिला कोषागार पदाधिकारी, पटना/उप कोषागार पदाधिकारी, दानापुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, एन०आई०सी०, पटना को सूचनार्थ प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि इसे पटना जिला के आधिकारिक वेबसाईट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।

प्रतिलिपि :– जिला जनसंपर्क पदाधिकारी, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– आयुक्त, पटना प्रमंडल, पटना को सादर सूचनार्थ समर्पित।

प्रतिलिपि :– विशेष सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ समर्पित।

ह०/– 15
जिला पदाधिकारी,
पटना।